सत्र प्रकरण क. 212/2019 पक्षकार – छ.ग. शासन विरूद्ध संगम व अन्य

Witness No. **01** For ...**अभियोजन साक्षी**... Deposition taken the **04.02.2020** day of .....

मंगलवार.....Witness's apparent age...**16 वर्ष** ...States on affirmation...**शपथपूर्वक** my name

is......... **नंदन सिंह** ....son/of................... **देवेन्द्र सिंह**........... occupation......**पढाई**.........

address......**संतोषी नगर थाना टिकरापारा जिला रायपुर छ0ग0...**

समय–12:35 बजे से प्रारंभ

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राकेश सिंह, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन</u>

01. मैं हाजिर अदालत आरोपीगण को पहचानता हूं। मैं 12वी कक्षा की पढाई कर रहा हूं।

02. घटना दिनांक 26.05.2019, सुबह 7:30 बजे की है। मैं संतोष पाण्डेय और राकेश सिंह हम तीनों पचपेडीनाका पेट्रोल भराने के लिए गये थे। उसी समय संगम निषाद एवं मुकेश अपने वाहन डीलक्स क0 सी.जी. 04 एम.आर. 5642 में पेट्रोल भराने के लिए आये थे। संगम और मुकेश जल्दी पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप वाले को बोले तो पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि लाईन से आओ। पेट्रोल पंप वाले को आरोपीगण वालो के द्वारा जल्दी पेट्रोल भरने के लिए मां का चोदू, तेरी बहन को चोदू की गाली देते हुए अश्लील शब्द उच्चारित किया गया। संतोष के द्वारा मना किया जाने पर उसके साथ गाली गलौच करने लगा। हम लोग पेट्रोल डला लो तब वे लोग बिना पेट्रोल डलाये आओ देखते है कहकर धमकी देते हुए चल दिये।

03. उक्त घटना के बाद हम लोग घर जा रहे थे। तब संगम टायर दुकान के पास अभियुक्तगण सामने आ गये। फिर हम लोगो को रूकवाये। उसी समय काला रंग कम उंचाई का अभियुक्त संगम अपने हाथ में रखे चाकू से मारने लगा। गाडी खडी किये थे राकेश गाडी से उतर नही पाया था अभियुक्त संगम ने पहले राकेश के जांध पर मारा, मैं देखकर भागने लगा तो मुझे भी दौडाकर पीठ पर चाकू से मारा। चाकू मेरे शरीर के अंदर फेंफडे तक चला गया था जिससे मुझे मुंह से भी खून निकलने लगा था। मैं संतोष को भागते देखकर उसे बचाने के लिए

आवाज लगाया तब वह पलटकर मेरे हाथ को पकडकर मुझे भी ले जाने का प्रयास किया किन्तु मैं भाग नहीं सका वही थोडी दूर पेट्रोल पंप के पास मैं गिरकर बेहोश हो गया।

04. उसके बाद मुझे राजधानी अस्पताल में होश आया। अस्पताल में पुलिस वाले आये थे, मुझसे पूछताछ किये थे। मैंने पुलिस वालो को भी घटना की जानकारी दिया था।

<u>नोट</u> :– <u>इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पूर्ण जानकारी प्रकट नहीं करना व्यक्त करते हुए साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी अभिलेख अवलोकन पश्चात विचार बाद अनुमति दी गई।</u>

05. यह कहना सही है कि अभियुक्त संगम ने राकेश को पसली एवं जांध में दो तीन बार चाकू से मारकर चोट पहुंचाया था। यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे अस्पताल में बताये थे कि चाकू एवं मोटर सायकल जप्त कर लिया गया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री यू.के. पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मुकेश की ओर से–</u>

06. यह कहना सही है कि जिस पेट्रोल पंप में हम लोग पेट्रोल पंप भराने के लिए गये थे उसका नाम मुझे नहीं मालूम। घटना का दिन कौन सा वार था मैं नहीं जानता, स्वत कहा कि घटना दिनांक को मेरे घर गृह प्रवेश था इसलिए तारीख मुझे याद है।

07. यह कहना सही है कि पेट्रोल भराने के समय हम लोगों के साथ गाली गलौच नहीं किये थे। पुलिस वाले घटना वाले ही दिन शाम को मेरे पास बयान लेने के लिए अस्पताल आये थे। यह कहना सही है कि उसके बाद मेरा और बयान नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि घटना के दूसरे दिन मेरा बयान लिया गया था।

08. यह कहना गलत है कि घटना के दिन या उससे पहले मैं अभियुक्त लोग को नहीं जानता था। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण का नाम मुझे संतोष पाण्डेय के द्वारा बताये जाने पर पता चला था।

09. यह कहना गलत है कि पुलिस वाले को घटना के दिन मैं बेहोश हो गया था यदि मेरा पुलिस बयान प्रडी–1 में नहीं लिखा हो तो मै उसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि चोट लगने के बाद मै बेहोश नहीं हुआ था साक्षी स्वत कहा कि मैं दौडकर भागते हुए

बेहोश हुआ था। यह कहना सही है कि बेहोश होने के बाद मै राजधानी अस्पताल कैसे पहुंचा नहीं जानता था। यह कहना सही है कि मेरे बेहोश के बाद संतोष पाण्डेय मुझे एवं राकेश सिंह को आटो में बिठाकर अस्पताल ले गया था। स्वत कहा कि बाद में पूछने पर पता चला था।

10. यह कहना सही है कि पुलिस बयान में नहीं बताया था चाकू मेरे फेफडे तक चला गया था आज पहली बार न्यायालय के समक्ष बता रहा हूं स्वत कहा कि उस समय मुझे स्वयं जानकारी नहीं था कि चाकू फेफडे तक चला गया था। हम लो फैशन प्रो गाडी से पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप गये थे। मैं पुलिस को बता दिया था कि मैं फैशन प्रो वाहन से पेट्रोल पंप गये थे। यदि उक्त बाते मेरे पुलिस बयान में नहीं लिखी हो तो मैं नहीं बता सकता।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश सिंह ठाकुर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संगम की ओर से–</u>

11. यह कहना सही है कि विवाद एवं मारपीट के समय तक मुझे आरोपीगण के नाम पता मालूम नहीं था। यह कहना सही है कि मुझे अस्पताल में भी आरोपीगण के नाम पता नही मालूम था स्वत कहा कि बाद में संतोष ने बताया था। मुझे संतोष ने घटना दिनांक को ही शाम को आरोपीगण के नाम बताये थे। वह उसे पहले से जानता था। यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे आरोपीगण का पहचान कार्यवाही नहीं कराये थे। स्वत कहा कि देखकर पहचान लोगे पूछा था, पहचान लूंगा बताया था।

12. यह कहना सही है कि पेट्रोल भराने के लिए एक ही मोटर सायकल पर हम लोग तीन लोग गये थे। यह कहना सही है कि आरोपीगण दो लोग थे और हमलोग तीन लोग थे शारीरिक बनावट में हमलोग मजबूत थे। यह कहना गलत है कि पेट्रोल पंप के पास हम लोग विवाद किये थे जिससे वे लोग डरकर चले गये। यह कहना गलत है कि हम लोग अभियुक्तगण का पीछा किये थे। स्वत कहा कि घटनास्थल के पास मेरा घर था मैं घर जा रहा था। यह कहना गलत है कि घटनास्थल पर हम लोग आरोपीगण को रोककर उसके साथ मारपीट किये थे।

13. यह कहना गलत है कि आरोपीगण से मैने पहले मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि इसी दोरान संतोष पाण्डेय अपने पास रखे चाकू से वार कर दिया था। यह कहना गलत है

कि लडाई झगडा के दौरान गुथम गुत्थी होने लगा एवं संतोष पाण्डेय चाकू से प्रहार करने लगा जिससे मुझे एवं राकेश सिंह को चोटे आई थी।

14. यह कहना गलत है कि संतोष पाण्डेय के बताये अनुसार एवं सतोष पाण्डेय को बचाने के नीयत से झूठा कथन किया हूं।

समय–1:15 बजे समाप्त।

वाचित/स्वीकृत

(ओम प्रकाश जायसवाल)
त्रयोदश अति. सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(ओम प्रकाश जायसवाल)
त्रयोदश अति. सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर :– .....

सत्र प्रकरण क. 212/2019 पक्षकार – छ.ग. शासन विरूद्ध संगम व अन्य

Witness No. **02** For ...**अभियोजन साक्षी**... Deposition taken the **04.02.2020** day of **..... मंगलवार**.....Witness's apparent age...**29 वर्ष** ...States on affirmation...**शपथपूर्वक** my name is.....**संतोष पाण्डेय**..... son/of.....**शत्रुधन पाण्डेय**..... occupation.....**प्रायवेट नौकरी**..... address.....**पचपेडीनाका नवजीवन सोसायटी रोड थाना टिकरापारा जिला रायपुर छ0ग0**

समय–1:15 बजे से प्रारंभ

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राकेश सिंह, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन</u>

01. मैं हाजिर अदालत आरोपीगण को पहचानता हूं। सावला रंग एवं कम उचाई के अभियुक्त का नाम संगम निषाद है एवं दूसरे गोरे एवं लंबे अभियुक्त का नाम मुकेश नायक है।

02. घटना दिनांक 26.05.2019, सुबह लगभग 7:30 बजे की है। घटना दिनांक को पचपेडीनाका के पास पाली पेट्रोल पंप के पास मैं, राकेश सिंह एवं नंदन सिंह पेट्रोल डलाने गये थे। पेट्रोल पंप में अभियुक्तगण भी पेट्रोल डलवाने के लिए आये थे एवं पहले पेट्रोल डलवाने के बात को लेकर मादर चोद एवं बेहन चोद की गंदी गंदी गाली गलौच कर रहे थे। मैं अभियुक्तगण को जानता था इसलिए उन्हें गाली गलौच करने के लिए मना किया था तो वे लोग मेरे साथ भी मां बहन की गाली गलोच करने लगे। उसके बाद मिलना तेरे को बताते है बोलते हुए बिना पेट्रोल डलवाये वहां से चले गये। अभियुक्तगण होण्डा डिलक्स वाहन क0 सी0जी0 04 एम0आर0 5642 से आये थे।

03. उक्त घटना के बाद पेट्रोल डलाकर हमलोग घर वापस जा रहे थे। तब संगम टायर के पास अभियुक्तगण संगम एवं मुकेश खडे हुए थे। वे चलते गाडी के सामने आकर गाडी को रूकवाये एवं गाली गलौच बोलने लगे। मैं अभियुक्त संगम निषाद के हाथ में चाकू देखकर डरकर भागने लगा तब तक अभियुक्त संगम जान से मार दूंगा बोलते हुए राकेश के जांध एवं पसली में चाकू से वार कर जान से मारने का प्रयास किया। इसी दौरान नंदन को भी पीछे से पीठ में चाकू से मार दिया था जिससे उसके फेफडे में भी चोट आई थी। मैं भाग रहा था

अभियुक्त मुकेश मुझे दौडा रहा था और संगम को भी मारने के लिए बुला रहा था। इस दौरान नंदन बेहोश हो गया था।

04. मैं फोनकर 112 एवं 108 में फोनकर एम्बुलेंस एवं पुलिस को बुलवाया। पुलिस एवं एम्बुलेंस को आने में लेट हो रहा था तब आसपास के लोगों के मदद से आटो वाहन में नंदन को बिठाकर राजधानी अस्पताल ले गया था। उसके पश्चात मैं राजेन्द्र नगर थाना जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाया। प्रथम सूचना पत्र प्रपी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

05. पुलिस वाले अभियुक्त संगम निषाद को बुलाकर उससे पूछताछ किये थे तब अभियुक्त ने घटना वाली चाकू को अपने दोस्त कार्तिक के घर छुपाकर रखना बताया जिसे बरामद कर जप्ती बनाया गया था। इस दौरान मेरे साथ अमन सिंह भी था। मेमोरेण्डम कथन प्रपी0 2 एवं जप्ती पत्रक प्रपी0 3 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। जप्तशुदा चाकू प्रदर्श आर्टिकल 3 ए–1 है। (जिसे न्यायालय में खोलकर दिखाया गया) उक्त चाकू से अभियुक्त संगम ने घटना कारित किया था एवं संगम के द्वारा पेश किये जाने पर मेरे समक्ष जप्ती की गई थी।

06. मैं पुलिस वालों के साथ घटनास्थल गया था वहां पर पुलिस वाले खून लगा एवं सादी मिटटी की जप्ती किये थे। मेरे सामने राकेश सिंह एवं नंदन सिंह के घटना के समय पहने कपडों को चाकू से खून लगने के कारण जप्ती किया गया था। अभियुक्त मुकेश के घर से डिलक्स वाहन जिसे वे लोग लेकर गये थे को जप्ती बनाया गया था। उक्त संबंध में तैयार जप्ती पत्रक प्रपी0 4, 5, 6 एवं 7 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

07. मेरे समक्ष घटनास्थल का पटवारी द्वारा नक्शा तैयार किया गया था। नजरी नक्शा प्रपी0 8 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे समक्ष अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया था। गिरफतारी पत्रक प्रपी0 9 एवं 10 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किया गया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री यू.के. पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मुकेश की ओर से–</u>

08. मैं घटना के लगभग दो घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज कराया था। स्वतः कहा कि घटना के तुरंत बाद आहतगण को अस्पताल ले गया था एवं जानकारी पुलिस को देने के बाद वे लोग पतासाजी किये एवं 9:30 बजे के लगभग रिपोर्ट लिखे थे। घटना दिनांक को एफआईआर दर्ज कराने के बाद मै पूरे दिन पुलिस वाले के साथ था पुलिस वाले जहां जहां गये मैं उसके साथ वहां वहां गया। मैं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ में थाना में एवं कुछ में घटनास्थल पर हस्ताक्षर किया था।

09. जप्ती पत्रक प्रपी0 7 जिसके माध्यम से मोटर सायकल जप्त किया जाना बताया गया है, पर मैने थाने में हस्ताक्षर किया था। यह कहना गलत है कि मेरा केवल घटना दिनांक को पूछताछ हुआ था। स्वत कहा कि 27.05.2019 को भी पूछताछ किये थे। उसी दिन चाकू जप्ती हुआ था। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को ही चाकू की जप्ती हुई थी।

10. यह कहना गलत है कि मै पुलिस को बयान देते समय पुलिस को यह नहीं बताया था कि घटना के समय मैं भाग रहा था तब अभियुक्त मुकेश मुझे दौडा रहा था यदि उक्त बाते मेरे पुलिस बयान प्रडी–2 में न लिखा हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पेटोल पंप के पास हुई गाली गलौच के कारण हम लोग संगम टायर के पास अभियुक्तगण को मारने के लिए गये थे। यह कहना गलत है कि हम लोग चाकू रखे थे एवं मारपीट किये थे।

11. नजरी नक्शा प्रपी0 8 पर हस्ताक्षर मैं किस स्थान पर किया था आज मुझे याद नहीं है। मैं आज यह नही बता सकता कि उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर मैं घटना के कितने दिन बाद किया था। उक्त नक्शा किसके द्वारा बनाया गया है मै नहीं बता सकता हूं नक्शा बनाने वाला व्यक्ति पुलिस के साथ आया था। साक्षी अब कहता है कि पुलिस वाले ने पटवारी होना बताये थे। यह कहना सही है कि नक्शा घटना दिनांक को ही बनाया गया था।

टीप–चायकाल होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

समय– 2:00 बजे समाप्त।

वाचित/स्वीकृत **मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।**

(ओम प्रकाश जायसवाल)
त्रयोदश अति. सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

(ओम प्रकाश जायसवाल)
त्रयोदश अति. सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर :– .....

टीप–चायकाल पश्चात साक्षी का प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय– 3:00 बजे प्रारंभ

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश सिंह ठाकुर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संगम की ओर से–</u>

12. पुलिस वालो ने संगम को थाने पर बुलाकर पूछताछ किया था। जिस समय अभियुक्त को बुलाये उस समय मैं थाने में मौजूद था। मेरे अलावा अमन सिंह था तथा अन्य पुलिस वाले थे। यह कहना गलत है कि उक्त पूछताछ करने के दौरान अन्य फारयादी या आसपास के लोग भी थाना में मौजूद थे। यह कहना गलत है कि मेरे सामने थाना में संगम से कोई पूछताछ नहीं हुआ था।

13. यह कहना सही है कि पुलिस वाले मुझे कार्यवाही में भाग लेने के लिए कोई नोटिस नहीं दिये थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्त संगम से मेरे समक्ष कोई संपत्ति जप्त नहीं किया गया है।

14. यह कहना गलत है कि मै, नंदन सिंह एवं राकेश सिंह तीनो मिलकर आरोपीगण की घेराबंदी करके उनके साथ मारपीट किये है। यह कहना गलत है कि नंदन सिंह एवं राकेश सिंह दोनो आरोपीगण से गुथम–गुथा थे इसी मध्य मैने चाकू निकालकर आरोपीगण को मारने का प्रयास किया। यह कहना गलत है कि मैने मौके का फायदा उठाकर अपने पास रखे चाकू

निकालकर आरोपीगण पर प्रहार किया किन्तु उक्त चाकू राकेश सिंह एवं नंदन सिंह को लगी जिससे वे घायल हो गया।

15. यह कहना गलत है कि उसी चाकू को मैं थाना में लेकर दिया था। यह कहना गलत है कि मैं दोस्ती का वास्ता देकर नंदन सिंह एवं राकेश सिंह से आरोपीगण के द्वारा चाकू मारना बोलवाया हूं। यह कहना गलत है कि खुद को बचाने के लिए आरोपीगण के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया हूं।

समय– 3:20 बजे समाप्त।

वाचित/स्वीकृत

(ओम प्रकाश जायसवाल)
त्रयोदश अति. सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(ओम प्रकाश जायसवाल)
त्रयोदश अति. सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर :– .....